

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
राजस्थान रेंजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)  
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।

क्रमांक: एफ3(C)II(02062)राईस/अका./आ.वि.प्रवेश/2023-24/1127

दिनांक . 20-09-2023

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1006 दिनांक 01.09.2023 के द्वारा विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि 15.09.2023 नियत की गई है। श्रीमान शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक (विडियो कॉन्फ्रेंस) में पाया गया है कि अभी भी आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत क्षमता के अनुसार शत-प्रतिशत प्रवेश नहीं हो पाया है।

अतः आवासीय विद्यालयों में रिक्त सीटों को देखते हुए प्रवेश की तिथि 15.09.2023 से बढ़ाकर 30.09.2023 की जाती है।

(राजेश वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक: एफ3(C)II(02062)राईस/अका./आ.वि.प्रवेश/2023-24/1128-1135

दिनांक : 20-09-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने हेतु।
5. उप निदेशक, प्रचार, मुख्यावास को इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार करवाने हेतु।
6. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि ... ..।
7. प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय समस्त ... ..।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Verma  
Designation: Director  
Date: 2023.09.20 17:25:17 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No 4742696

